न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2018 (उदयपुर डिकी)

खुमाण सिंह पिता श्री भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती काली बाई उर्फ पुष्पा बाई पिता श्री सरदार सिंह पत्नी भैरू सिंह जाति राजपूत, निवासी बोरो वाली मादडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरदार सिंह पिता श्री भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. लाल सिंह पिता श्री भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. प्रताब सिंह पिता श्री भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी रोयडा, तहसील गागुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती भंवरी पुत्री श्री भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिकी उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा
दिनांक 22.05.2017, प्र॰सं॰ 140/15

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री जी. एस. मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

26—04—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वादीया एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर उनकी मौरूसी सम्पत्ति ग्राम रोयडा में स्थित है, जिसके खाता संख्या 274 होकर कुल किता 38 रकबा 2.0600 हैक्टर है। उक्त भूमि में वादिया के पिता का 1/5 हिस्सा था। उक्त 1/5 हिस्से में वादीया का 1/2 हिस्सा होकर वादिया काबिज है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी 1 को बहला फुसलाकर हक त्याग करवा दिया, जिससे वादिया का बनने वाले हिस्से का वादिया के नाम घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रखा गया, जिसमें प्रतिवादीगण ने वादिया का वाद राजीनामे अनुसार डिकी किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22—05—2017 से वादिया का वाद स्वीकार कर डिकी किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12—02—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्याय की जानकारी दिसम्बर 2017 में हुई, जिस पर तुरन्त नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 22—05—2017 की आदेशिका पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है। फिर भी

न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि प्रकरण दिनांक 22–05–2017 को लोक अदालत में रखे जाने की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी तथा राजीनामा सभी रेस्पोन्डेन्ट ने मिलकर प्रस्तुत किया है तथा फर्द अहकाम पर उसके फर्जी हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तनकियात कायम की जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

वहीं विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण आधार पर किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि दिनांक 22–05–2017 की आदेशिका पर अपीलान्ट के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है, जिसके आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री जारी की गयी है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–05–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

खुमाणसिंह पिता भवानीसिंह राजपूत, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर बोरो वाली

बनाम

श्रीमती कालीबाई उर्फ पुष्पाबाई पुत्री सरदारसिंह राजपूत पत्नी भैरूसिंह राजपूत, नि. मादडी, तहसील गोगुन्दा

व अन्य

अपील नं॰.....11 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गोगुन्दा..... मुकाम.....मुवर्खे.....22.....माह.....05. 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....26....माह.....04.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री जी0 एस0 मेहता.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री पंकज भटनागर

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....26.....माह.....04... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।